



असाध्य बिमारीयों के लिए चिकित्सा सहायता योजना



‘न्याय सदन’

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

प्रकाशन वर्ष : 2015

केवल जागरूकता के लिए

किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा मदद के लिए सम्बंधित विभाग के सक्षम पदाधिकारी या झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार न्याय सदन, डोरण्डा, राँची (0651-2482392) Web. : www.jhalsa.org, email : jhalsaranchi@gmail.com फ़ैक्स : 0651-2482397 (जिला स्तर पर सम्बंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं ग्रामीण विधिक देखभल एवं सहायता केन्द्र) से सम्पर्क

झालसा द्वारा जनहित में जारी

यह पाठ्य-सामग्री झालसा के वेबसाइट (www.jhalsa.org) पर भी उपलब्ध है।

राज्य के गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) जीवन व्यतीत करने वाले मरीजों को जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, के लिए चिकित्सा सहायता योजना

योजना क्या है ?

गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले मरीजों को जो झारखण्ड राज्य के हैं, उन्हें असाध्य रोग से पीड़ित होने पर 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार) रुपये तक की चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। बीमारी सहायता अनुदान की राशि संबंधित अस्पताल/संस्थान को बैंक ड्राफ्ट अथवा उनके खाते में 'इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर' के माध्यम से दी जायेगी। योजना का लाभ प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति होती है।

योजना का लाभ देने हेतु प्रक्रिया क्या है ?

आवेदन पत्रों की प्रारंभिक समीक्षा हेतु उपायुक्त एक उपसमिति का गठन करेंगे जिसकी अध्यक्षता सिविल सर्जन/ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी करेंगे। इसमें रोग विशेष से संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टर भी रहेंगे। मरीज को अपने जिला में ही आवेदन देना होगा। आपातकालीन स्थिति में उपायुक्त सिविल सर्जन की अनुशंसा पर समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में अनुदान की राशि स्वीकृत कर सकेंगे। आवेदन पत्र में मरीज का फोटो आवश्यक है।

असाध्य रोगों की सूची :- 1. कैंसर, 2. हृदय रोग (शल्यक्रिया सहित), 3. किडनी रोग (शल्यक्रिया सहित), 4. असाध्य मानसिक रोग (शल्यक्रिया सहित) 5. एड्स, 6. टोटल हिप रिप्लेसमेंट, 7. स्पाइनल सर्जनी, 8. मेजर वैसकुलर डिजीज, 9. बोन मैरो ट्रांसप्लांट, 10. लिवर ट्रांसप्लांट, 11. हेपाटोमा, 12. एडवांस सिरोसिस ऑफ लिवर (लिवर खराबी 75% अथवा उससे अधिक), 13. रेटिनल डिटेचमेंट, 14. प्रोलिफरेटिव डाइबेटिक रेटिनोपैथी, 15. रेटिनल आर्ट्री ऑक्लूजन, 16. ईल्स डिजीज एवं मैक्यूलर होल

राज्य के एवं राज्य से बाहर अवस्थिति चिकित्सा संस्थान जिन्हें सी.जी.एस./एम्स की दर पर इलाज करने हेतु निर्देश दिया गया है :-

- | | |
|--|--|
| 1. आलम हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, बूटी रोड, बरियातु, राँची। | 14. शिशिर सेवा केन्द्र, जेल रोड, राँची। |
| 2. फोटिस हॉस्पिटल 730 आनंदपुर ई0एम0 बाईपास रोड, कोलकाता। | 15. मेहरबाई टाटा मेमोरियल , जमशेदपुर। |
| 3. श्री जगन्नाथ हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, बूटी रोड, राँची। | 16. कश्यप आई हॉस्पिटल, राँची। |
| 4. अमरी हॉस्पिटल, साल्ट लेक, कोलकाता। | 17. नारायण हृदयालय हॉस्पिटल, बंगलोर। |
| 5. द मिशन हॉस्पिटल, दूर्गापुर (पं0 बंगाल)। | 18. झारखण्ड राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं अन्य राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल |
| 6. बी0एम0 बिड़ला हार्ट रिसर्च सेन्टर, कोलकाता। | 19. टाटा स्मारक अस्पताल, मुम्बई। |
| 7. मेदान्ता मेडिसिटी, गुडगांव, हरियाणा। | 20. संजय गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ। |
| 8. डाईसन हॉस्पिटल, कोलकाता। | 21. ब्राह्मनन्द नारायण हृदयालय, जमशेदपुर। |
| 9. अपोलो ग्लेनीग्लस हॉस्पिटल, कोलकाता। | 22. महावीर कैंसर इन्स्टीच्यूट, फुलवारी शरीफ, पटना। |
| 10. अब्दुल रज्जाक अंसारी मेमोरियल वीवर्स हॉस्पिटल, ईरबा, राँची। | 23. अपोलो भुवनेश्वर एवं अपोलो हैदराबाद। |
| 11. पेडिका सुपर स्पेश्यालिटी , कोलकाता। | 24. एल0बी0 प्रसाद आई0 इंस्टीच्यूट, हैदराबाद एवं भुवनेश्वर। |
| 12. राम प्यारी आर्थो सेन्टर, राँची। | 25. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली। |
| 13. क्यूरी अब्दुल रज्जाक अंसारी कैंसर इन्स्टीच्यूट, ईरबा, राँची। | 26. क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, भैल्लोर। |
| | 27. पी0जी0आई0 चण्डीगढ़। |
| | 28. शंकर नेत्रालय, चेन्नई। |

	Name of Diseases	एम्स दर (AIIMS Rate)	सी.जी.एच.एस. दर (CGHS)	एम्स एवं सी.जी.एच.एस. न्यूनतम दर
1.	कैंसर रोग			
1.	कैंसर All Types of Cancer	मांग के अनुसार (अधिकतम 150000)	मांग के अनुसार (अधिकतम 150000)	मांग के अनुसार (अधिकतम 150000)
2.	हृदय रोग से संबंधित			
XXV	ASD Closure	45000/-	53000/-	45000/-
XXVI	VSD Closure	55000/-	53000/-	53000/-
XXVII	TOF	55000/-	130000/-	55000/-
XXVIII	TAPVC	60000/-	130000/-	60000/-
XXIX	VD Glenn/LA Myxoma	45000/-	100000/-	45000/-
XXX	A V Cal Repair	55000/-	10350/-	10350/-
XXXI	Conduit Repair	65000/-	27600/-	27600/-
XXXII	CABG	60000/-	130000/-	60000/-
XXXIII	CABG + IABP	85000/-	169050/- (अधिकतम 150000/-)	85000/-
XXXIV	CABG + Valve	130000/-	169050/- (अधिकतम 150000/-)	130000/-
XXXV	As ending aorta replacement	160000/- (अधिकतम 150000/-)	138000/-	138000/-
XXXVI	Aortic Dissection	160000/- (अधिकतम 150000/-)	63250	63250
XXVII	MVR / AVR	45000 + (Cost of Valve)	53000 + (Cost of Valve)	45000 + (Cost of Valve)
XXVIII	DVR	45000 + (Cost of Valve)	130000 + (Cost of Valve)	45000 + (Cost of Valve)
XXXIX	MV Repair / A V Repair	50000/-	106000/-	50000/-
XL	BT Shunt / Coarctation	20000/-	51980/-	20000/-
XLI	Pericardiotomy	15000/-	40250/-	15000/-
XLII	CMV / PDA	6000/-	51750/-	6000/-
XLIII	Catheterization Charge (Angio)	6000/-	5635/-	5635/-
XLIV	Angioplasty	10000 + Cost of Stent	69000 + Cost of Stent	10000 + Cost of Stent
XLV	BMV	10000 + Cost of Balloon	51000 + Cost of Balloon	10000 + Cost of Balloon
XLVI	Pacemaker	55000/-	27600/-	27600/-
XLVII	PDA Device Closure	10000 + Cost of Device	37000 + Cost of Device	10000 + Cost of Device
XLVIII	ASD Device Closure	10000 + Cost of Device	36225 + Cost of Device	10000 + Cost of Device
3.	गुर्दा रोग			
	Kidney	मांग के अनुसार (अधिकतम 150000)	मांग के अनुसार (अधिकतम 150000)	मांग के अनुसार (अधिकतम 150000)
4.	मस्तिष्क रोग			
I	Craniotomy Simple (including craniotomy for head injuries, for supratentorial and infratentorial tumors, Transsphenoidal Surgeries except those given below)	15000/-	50000/-	15000/-
II	Craniotomy Complex (including craniotomy for AVM Aneurysm, epilepsy surgery, C.P angle tumors, skull base tumors)	20000/-		20000/-

5.	एड्स	Contact to ART Center		Contact to ART Center
6.	हड्डी रोग			
1.	Hip Replacement	10000 + Empliet	103500/-	10000 + Empliet
7. I	Spine Simple (including lumbar and cervical discs and extra medullary tumors)	10000/-		10000/-
II	Spine Complex (including CV Junction, instrumentation, Intramedullary tumors)	20000/-		20000/-
8.	मेजर वैसेकुलर डिजीज		28900/-	28900/-
9.	बोन मैरो ट्रांसप्लान्ट	(मांग के अनुसार) अधिकतम 150000/-	(मांग के अनुसार) अधिकतम 150000/-	(मांग के अनुसार) अधिकतम 150000/-
10.	लिवर ट्रांसप्लान्ट	(मांग के अनुसार) अधिकतम 150000/-	(मांग के अनुसार) अधिकतम 150000/-	(मांग के अनुसार) अधिकतम 150000/-
11.	हेपाटोमा		50000/-	50000/-
12.	ऐडवास सिरोसिस ऑफ लिवर (लिवर खराबी 75% अथवा उससे अधिक)			(मांग के अनुसार) अधिकतम 150000/-
13.	रेटिनल डिटैचमेंट		8450/-	8450/-
14.	प्रोलिफरेटिव डाइवेटिक रेडिनोपैथी		4845 + Ang 700	4845 + Ang 700
15.	रेडिनल आरट्री ऑक्नूजन		4845 + Ang 700	4845 + Ang 700
16.	ईल्स डिजीज		4845 + Ang 700	4845 + Ang 700
17.	मैकुलर होल		4845 + Ang 700	4845 + Ang 700

असाध्य बीमारियों के लिए चिकित्सा सहायता योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों के अतिरिक्त अन्य गरीब परिवारों के लिए चिकित्सा सहायता योजना

योजना क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्रों में 10,500 (दस हजार पाँच सौ) रुपये प्रतिवर्ष तथा शहरी क्षेत्रों में 12,000 (बारह हजार) रुपये प्रतिवर्ष तक की आय वाले परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता है, भले ही वह बी.पी.एल. सूची में नहीं है। ऐसे परिवारों के मरीजों को जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, उन्हें अधिकतम 2,50,000 (दो लाख पचास हजार) रुपये तक की चिकित्सा सहायता दी जाती है। इस योजना के लाभ के लिए सारी प्रक्रिया हबहू वही है जो बी.पी.एल. परिवारों के लिए चिकित्सा सहायता योजना की है, किन्तु वैसे रोगों के लिए जो तत्काल जीवन रक्षा से सम्बंधित हो, की स्वीकृति सिविल सर्जन के स्तर से दी जायेगी एवं उसकी घटनोत्तर स्वीकृति जिला स्तरीय समिति से प्राप्त की जायेगी।

- उपरोक्त परिवारों के लिए वार्षिक आय का निर्धारण अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र के आधार पर किया जायेगा।

कहाँ संपर्क करें ?

योजना का लाभ पाने हेतु अथवा अधिक जानकारी के लिए सिविल सर्जन कार्यालय अथवा समाहर्ता के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

विधिक सहायता के लिए - विधिक सहायता के लिए हर जिले में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव से अथवा झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, न्याय सदन, राँची से (0651-2481520, 2482392, 2482030) (jhalsaranchi@gmail.com) पर सम्पर्क किया जा सकता है।

सूचना : यह सामग्री केवल जन-जागरूकता के लिए है। किसी भी प्रकार का दावा करने से पूर्व मूल स्कीम द्रष्टव्य है।